



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में

✓ सभी उप-कार्यालय हरियाणा राज्य में।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)।


यादी कमांक टीए/रूल/श्रेणी-1 व II/2006-2007/1805
दिनांक: 1-9-2015

विषय: प्रस्तावित सेवानियम गुप-क व 'ख' को विभागीय वेबसाईट पर डालने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के पत्र कमांक टीए/रूल/श्रेणी-1 व II/2006-2007/1825 दिनांक 30.9.2014 के संदर्भ में।

संदर्भित पत्र द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के श्रेणी-क व श्रेणी-ख के नए प्रस्तावित सेवानियम विभागीय वेबसाईट www.itiharyana.gov.in पर डालकर आप्पति मांगी गई थी जिसके संदर्भ में विभाग में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों से प्रतिक्रिया/आप्पतियां प्राप्त हुई थी जिन पर विचार करते हुये विभागीय सेवानियम कमेटी ने प्रस्तावित सेवानियमों के स्थान पर नये प्रस्तावित सेवानियम तैयार कर दिये गये है तथा इन्हें पुनः विभागीय वेबसाईट www.itiharyana.gov.in पर डाल दिये गये है।


नये प्रस्तावित सेवानियमों का अवलोकन कर लिया जाये। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी इन नए प्रस्तावित सेवानियमों बारे कोई सुझाव/प्रतिक्रिया/टिप्पणी/आप्पति देना चाहता है तो वह supdt.admn1@rediffmail.com पर दिनांक 15.9.2015 तक दे सकते है।


सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

अशा: क0 टीए/रूल/श्रेणी-1 व II/2006-2007/ दिनांक :

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट (मुख्यालय पर) को भेजकर अनुरोध है कि वह संलग्न श्रेणी-क व श्रेणी-ख के नये प्रस्तावित सेवानियम पुराने प्रस्तावित सेवानियमों के स्थान पर आज ही डालने का कष्ट करें।
2. निजी सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग।
3. निजी सहायक/महानिदेशक।


सहायक निदेशक (प्रशासन-1)
कृते: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।